

- 55 संस्था के शैक्षिक एवं शिष्योत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनपान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
- 56 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त असावरीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा-निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 57 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 58 विद्यालय सिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
- 59 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की छूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

श्रीम प्रकाश मुखर्जी
मुख्य शिक्षक

प्रो.सं.सं. दिनांक तद्वै

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, **असावरी** ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, **असावरी** ।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, **सaraswati Vidya Mandir, Chhata** ।
- 6- गार्ड फ़ाइल ।

आज्ञा से,

श्रीम प्रकाश मुखर्जी
मुख्य शिक्षक

Manager

Saraswati Vidya Mandir
Goverdhan Marg, Chhata
School Code- 60341



सेवा में,

श्रीम. उमाका. उमा.
श्रीम. उमाका. उमा.
श्रीम. उमाका. उमा.

सेवा में,

श्रीम. उमाका. उमा.
श्रीम. उमाका. उमा.
श्रीम. उमाका. उमा.

विद्या 17 अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 16 जनवरी, 2004

विषय:-

सरस्वती विद्या मंदिर का नया नाम सारस्वती विद्या मंदिर के संस्थापक के प्रमाणपत्र प्रमाण पत्र दिने जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित

पहोच,

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को **सारस्वती विद्या मंदिर** नई दिल्ली से संबन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
2. विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्वा मिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबन्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा ।

Manager
Saraswati Vidya Mandir
Governor's Mandir, Chhata
School Code- 60341

